जेपीआर5–396

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(मुख्य अभियंता – वाणिज्य)

क्रंमाक:जेपीडी/मुअ(वाणिज्य)/सी–1/एफ4(210)पार्ट–IV/प्रे.760 दिनांक 8.5.07

: आदेश :

विषयः–निरन्तर सप्लाई फीडर के विस्तार कर कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में ।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी आदेश क्रंमाक 1784 दिनांक 17.10.2006 (जेपीआर5–351) एवं अन्य आदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अघरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं /आवेदकों को उनके द्वारा निरन्तर सप्लाई चाहने पर निरन्तर सप्लाई /शहरी फीडर से एच.टी.लाईन खींच कर कनेक्शन जारी किये जाते हैं। इस तरह से सप्लाई लेने हेतु सम्पूर्ण एचं.टी लाईन विस्तार का खर्चा उपभोक्ता/आवेदक को वहन करना होता है ।

उक्त सम्बन्ध में वर्तमान में निरन्तर सप्लाई वाले फीडर के विस्तार की कोई सीमा निर्धारित नहीं होने से इस तरह के फीडर का विस्तार कस्बें/ग्राम की सीमा से बाहर तथा एक गॉव से दूसरे गॉव की सीमा तक हो जाने की सम्भावना रहती है। ऐसी स्थिति में शहरी /निरन्तर सप्लाई फीडर का कोई औचित्य/महत्व नहीं रह जाता है ।

इस समस्या से निदान पाने के लिये विस्तृत रूप से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार निरन्तर सप्लाई /शहरी फीडर के विस्तार हेतु रीको औद्योगिक क्षैत्र में निर्धारित सीमा के समकक्ष विस्तार की सीमा निर्धारित की जावें ।

अतः भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं / आवेदकों द्वारा निरन्तर सप्लाई चाहने पर एच.टी. फीडर का अधिकतम एक कि. मी. तक ही विस्तार किया जाये। इससे अधिक दूरी होने पर 33 के.वी. सब–स्टेशन से अलग से 11 के.वी. का फीडर खेंचा जाये। इस तरह से विस्तार का समस्त खर्चा उपभोक्ता /आवेदक को वहन करना होगा। उपभोक्ता को कनेक्शन एच.टी. सप्लाई पर ही दिया जायेगा । एच.टी. सप्लाई हेतु वितरण ट्रांसफारमर या तो उपभोक्ता को लगाना होता है परन्तु उपभोक्ता चाहे तो निगम द्वारा ट्रांसफारमर लगाया जा सकता है । इसके लिये उपभोक्ता को ट्रासफारमर का किराया निगम को देना होगा। इसी तरह मीटरिंग एल.टी साईड पर है तो उपभोक्ता को 3 प्रतिशत ट्रांसफारमेशन लॉसेज भी देना होगा।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं ।

आज्ञा से

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)